

स्मरण पत्र।

तिथिबद्ध / अतिआवश्यक।

प्रेषक

निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में,

प्राचार्य,

1. राजकीय महिला महाविद्यालय, अम्बाला शहर।
2. राजकीय महाविद्यालय, साहा (अम्बाला)।
3. राजकीय महाविद्यालय, नारायणगढ़ (अम्बाला)।
4. राजकीय महिला महाविद्यालय, तोशाम (भिवानी)।
5. राजकीय महिला महाविद्यालय, बहल (भिवानी)।
6. राजकीय महिला महाविद्यालय, कैरू (भिवानी)।
7. राजकीय महिला महाविद्यालय, लोहारू (भिवानी)।
8. राजकीय महाविद्यालय, बौद्धकलां (चरखी दादरी)।
9. राजकीय महाविद्यालय, मण्डी हरिया (चरखी दादरी)।
10. राजकीय महाविद्यालय, फरीदाबाद।
11. राजकीय महाविद्यालय, तिगांव (फरीदाबाद)।
12. राजकीय महिला महाविद्यालय, फरीदाबाद।
13. राजकीय महिला महाविद्यालय, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)।
14. राजकीय महिला महाविद्यालय, नचौली (फरीदाबाद)।
15. राजकीय महाविद्यालय, मोहना (फरीदाबाद)।
16. राजकीय महाविद्यालय, रतिया (फतेहाबाद)।
17. राजकीय महिला महाविद्यालय, रतिया (फतेहाबाद)।
18. राजकीय महाविद्यालय, भूना (फतेहाबाद)।
19. राजकीय महाविद्यालय, टोहाना (फतेहाबाद)।
20. द्रोणाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, गुरुग्राम।
21. राजकीय महिला महाविद्यालय, सैक्टर-14, गुरुग्राम।
22. राजकीय महाविद्यालय, सैक्टर-09, गुरुग्राम।
23. राजकीय महिला महाविद्यालय, मानेसर (गुरुग्राम)।
24. राजकीय महाविद्यालय, फरखनगर (गुरुग्राम)।
25. राजकीय महिला महाविद्यालय, सैक्टर-52, गुरुग्राम।
26. राजकीय महाविद्यालय, बरवाला (हिसार)।
27. राजकीय महाविद्यालय, हांसी (हिसार)।
28. राजकीय महाविद्यालय, हिसार।
29. राजकीय महिला महाविद्यालय, डाटा (हिसार)।
30. राजकीय महिला महाविद्यालय, उगालन (हिसार)।
31. राजकीय महाविद्यालय, बालसमंद (हिसार)।
32. राजकीय महाविद्यालय, छारा (झज्जर)।
33. राजकीय महाविद्यालय, बिरोहड (झज्जर)।
34. राजकीय महिला महाविद्यालय, बहादुरगढ़ (झज्जर)।
35. राजकीय महाविद्यालय, बाहु (झज्जर)।
36. राजकीय महाविद्यालय, दुजाना (झज्जर)।
37. राजकीय महाविद्यालय, झज्जर।
38. राजकीय महिला महाविद्यालय, कुलाना (झज्जर)।
39. राजकीय महाविद्यालय, सफीदों (जींद)।
40. राजकीय महाविद्यालय, जींद।
41. राजकीय महाविद्यालय, पिल्लु खेडा (जींद)।
42. राजकीय महाविद्यालय, कैथल।
43. राजकीय महिला महाविद्यालय, कलायत (कैथल)।
44. राजकीय महाविद्यालय, मटक माजरी (करनाल)।
45. राजकीय महाविद्यालय, असंध (करनाल)।
46. राजकीय महाविद्यालय, करनाल।
47. राजकीय महाविद्यालय, घरौण्डा (करनाल)।
48. राजकीय महिला महाविद्यालय, जुडलां (करनाल)।
49. राजकीय महिला महाविद्यालय, पाडा (करनाल)।
50. राजकीय महिला महाविद्यालय, तरावडी (करनाल)।
51. राजकीय महिला महाविद्यालय, बस्तली (करनाल)।
52. राजकीय महिला महाविद्यालय, घरौण्डा (करनाल)।
53. राजकीय महाविद्यालय, चामूकलां (कुरुक्षेत्र)।

54. राजकीय महिला महाविद्यालय, पलवल (कुरुक्षेत्र)।
55. राजकीय महिला महाविद्यालय, अटेली (महेन्द्रगढ़)।
56. राजकीय महाविद्यालय, कनीना (महेन्द्रगढ़)।
57. राजकीय महाविद्यालय, कृष्णनगर (महेन्द्रगढ़)।
58. राजकीय महाविद्यालय, नागल चौधरी (महेन्द्रगढ़)।
59. राजकीय महिला महाविद्यालय, महेन्द्रगढ़।
60. राजकीय महाविद्यालय, अटेली (महेन्द्रगढ़)।
61. राजकीय महाविद्यालय, महेन्द्रगढ़।
62. राजकीय महाविद्यालय, नारनौल (महेन्द्रगढ़)।
63. राजकीय महाविद्यालय, छिल्लरो (महेन्द्रगढ़)।
64. राजकीय महाविद्यालय, सिंहमा (महेन्द्रगढ़)।
65. राजकीय महिला महाविद्यालय, उन्हानी (महेन्द्रगढ़)।
66. राजकीय महिला महाविद्यालय, सालाहेडी (नूह)।
67. राजकीय महाविद्यालय, तावडू (नूह)।
68. राजकीय महिला महाविद्यालय, पुनहाना (नूह)।
69. राजकीय महाविद्यालय, बिस्सार अकबरपुर (नूह)।
70. राजकीय महाविद्यालय, होडल (पलवल)।
71. राजकीय महाविद्यालय, पलवल।
72. राजकीय महिला महाविद्यालय, मण्डकौला (पलवल)।
73. राजकीय महिला महाविद्यालय, बढौली (पलवल)।
74. राजकीय महाविद्यालय, सैक्टर-1, पंचकूला।
75. राजकीय महाविद्यालय, बरवाला (पंचकूला)।
76. राजकीय महिला महाविद्यालय, सैक्टर-14, पंचकूला।
77. राजकीय महाविद्यालय, कालका (पंचकूला)।
78. राजकीय महाविद्यालय, इसराना (पानीपत)।
79. राजकीय महाविद्यालय, कवाली (रेवाडी)।
80. राजकीय महिला महाविद्यालय, गुरावडा (रेवाडी)।
81. राजकीय महाविद्यालय, रेवाडी।
82. राजकीय महिला महाविद्यालय, बाबल (रेवाडी)।
83. राजकीय महाविद्यालय, जाटूसाना (रेवाडी)।
84. राजकीय महिला महाविद्यालय, लाखन माजरा (रोहतक)।
85. राजकीय महाविद्यालय, सांपला (रोहतक)।
86. राजकीय महिला महाविद्यालय, सांपला (रोहतक)।
87. राजकीय महाविद्यालय, जसिया (रोहतक)।
88. राजकीय महिला महाविद्यालय, रानियां (सिरसा)।
89. राजकीय महिला महाविद्यालय, कालांवाली (सिरसा)।
90. राजकीय महाविद्यालय, बरौटा (सोनीपत)।
91. राजकीय महाविद्यालय, गोहाना (सोनीपत)।
92. राजकीय महिला महाविद्यालय, सोनीपत।
93. राजकीय महिला महाविद्यालय, मोहना (सोनीपत)।
94. राजकीय महाविद्यालय, बिलासपुर (यमुनानगर)।
95. राजकीय महाविद्यालय, रादौर (यमुनानगर)।
96. राजकीय महाविद्यालय, मुस्तफाबाद (यमुनानगर)।

यादी क्रमांक: 19/50-2019 प्रशा0 (1)

दिनांक, पंचकूला : 15.7.2019

विषय :-

Grant of reservation to persons with disabilities in jobs under Govt./Govt. Undertakings, Local Bodies and Universities etc.

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 19/50-2019 प्रशा0 (1) दिनांक 22.4.19 तथा स्मरण पत्र क्रमांक सम दिनांक 11.6.2019 एवं 08.7.2019 के सन्दर्भ में। विषयांकित मामले में संदर्भित पत्र के अन्तर्गत आपसे मांगी गई सूचना अभी तक निदेशालय में प्राप्त नहीं हुई है। अतः आपको पुनः लिखा जाता है कि दिनांक 01.01.1996 से दिनांक 31.3.2019 तक कार्यरत/सेवानिवृत्त ऐसे सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर/प्राचार्य जिन द्वारा विकलांगता भत्ता क्लेम किया गया है उनसे संबंधित सूचना निम्नलिखित प्रोफार्मा में

विकलांगता प्रमाण पत्र की फोटोप्रति सहित निदेशालय को ई-मेल hechryadm@gmail.com

के माध्यम से आज दिनांक 15.7.2019 तक भेजना सुनिश्चित करें :-

| क्रम | अधिकारी का नाम व पिता का नाम | विषय | जन्म तिथि | सरकारी सेवा में आने की तिथि। | यदि सेवानिवृत्ति हो चुके हैं तो सेवानिवृत्ति तिथि। | यदि प्राचार्य पद पर पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति हुई है तो पदोन्नति की तिथि। | यदि किसी कारणवश कोई अधिकारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली गई है/ मृत्यु हो चुकी है/ त्यागपत्र दिया गया है तो उसकी तिथि तथा कारण। | विकलांगता की श्रेणी | विकलांगता का प्रतिशत | वरिष्ठता क्रमांक 01.9.97 की सूची अनुसार | वरिष्ठता क्रमांक 01.1.04 की सूची अनुसार | वरिष्ठता क्रमांक 1.12.09 की सूची अनुसार |
|------|------------------------------|------|-----------|------------------------------|--|--|---|---------------------|----------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

उक्त अंकित अवधि में यदि आपके महाविद्यालय में किसी भी विकलांग अधिकारी द्वारा विकलांग भत्ता प्राप्त नहीं किया गया है और ऐसा कोई अधिकारी कार्यरत नहीं रहा है तो इस बारे में शून्य सूचना निदेशालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात् यदि इस मामले में किसी विकलांग अधिकारी/सेवानिवृत्त अधिकारी से यह सूचना प्राप्त होती है कि उनके विकलांग भत्ते बारे में रिपोर्ट निदेशालय को नहीं भेजी गई है तो इसके लिए प्राचार्य स्वयं जिम्मेवार होगा तथा किसी प्रकार की लिटिगेशन होने पर भी प्राचार्य ही उत्तरदायी होगा और मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में ला दिया जाएगा।

अतः मामले को गम्भीरता से प्राथमिकता प्रदान करना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक प्रशासन

कृते: निदेशक, उच्चतर शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।